प्रेषक

एन0के0 सिंह ,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-गोरखपुर ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 20 मई, 2016**

विषय- 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु मार्ग-दर्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-527/अड़तीस-9-14-500(12)/2014, दिनांक-23.06.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपने पत्र संख्या-799/लेखा-4/वि0मं0क्षे0 वि0नि0/2014-15, दिनांक-16.06.2014 के माध्यम से 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण में उ0प्र0 अभियन्त्रण एवं श्रम सहकारी संघ लि0, गोरखपुर से कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में शासन से दिशा-निर्देश दिये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक-23.06.2014 द्वारा उल्लिखित संस्था उ0प्र0 अभियन्त्रण एवं श्रम सहकारी संघ लि0 से कार्य लिये जाने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-527/अड़तीस-9-14-500(12)/2014, दिनांक-23.06.2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिये कार्यदायी संस्थाओं के चयन के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक-14.10.2013 व शासनादेश दिनांक-04.03.2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में उक्त से इतर निर्गत किसी अन्य शासनादेश को संज्ञान में न लें।

भवदीय

एन0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-29/2016/242(1)/अड़तीस-9-2016, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

(2)- जिलाधिकारी, गोरखपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

(3)- गार्डबुक।

आज्ञा से,

एन0के0 सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in